प्रेस विज्ञप्ति
10.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मोहाली के दिनांक 06.02.2026 के आदेश के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और कैथोलिक सीरियन बैंक को लगभग 20.21 करोड़ रुपये (बिक्री विलेख के अनुसार मूल्य, हालांकि पुनः स्थापित संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है) मूल्य की छह कुर्क अचल संपत्तियों को वापस कर दिया है। उक्त संपत्तियां पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेड और उसके निदेशक नीरज थताई @ नीरज अरोड़ा के मामले में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में कुर्क की गई थीं। माननीय न्यायालय द्वारा जिन कुर्क अचल संपत्तियों को वापस करने की अनुमति दी गई है, उनमें पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए नीरज थताई @ नीरज अरोड़ा और उनकी कंपनी मेसर्स नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि नीरज ठटाई @ नीरज अरोड़ा ने बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों को संपत्ति आवंटन के बहाने उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगा दिया था। यह पाया गया कि नीरज ठटाई @ नीरज अरोड़ा द्वारा खरीदी गई संपत्तियां निवेशकों से जमीन दिए बिना या पैसे वापस/लौटाए बिना उनसे जमा किए गए पैसे से पंजीकृत/खरीदी गई थीं। नीरज ठटाई @ नीरज अरोड़ा, मेसर्स नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेड और समूह की कंपनियों के कई बैंक खातों में निवेशकों की गाढ़ी कमाई जमा की गई थी और संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग की गई थी।

इस मामले में जांच के दौरान, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित बैंक बैलेंस और कृषि/वाणिज्यिक भूमि सहित लगभग 46.02 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अस्थायी कुर्की की गई थी, जिसकी पुष्टि पीएमएलए के माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई है। ईडी ने नीरज थताई @ नीरज अरोड़ा को 08.10.2024 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में अभियोजन शिकायत और एक पूरक अभियोजन शिकायत भी क्रमशः 29.10.2020 और 05.12.2024 को दायर की गई है।

आगे की जाँच जारी है।